आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

शस्त्र अपील वाद सं0-227/2022

राधवेन्द्र कुमार सिंह उर्फ राघवेन्द्र सिंह.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य .....विपक्षी

आदेश

30.6.2023

प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-13250/2021 में दिनांक 17.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न है:-

" It is needless to state that in case, appropriate appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be heard on merits by the appellate authority without being impeded by the issue of limitation and a reasoned and a speaking order shall be passed, in accordance with law, within a period of eight weeks, thereafter."

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्त्ता के पिता श्री कमलापति सिंह द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्त्ता-राघवेन्द्र सिंह द्वारा अपने लाइसेंसी रायफल (315 बोर, सं0-ए0बी0 0004-5414), अनुज्ञप्ति सं0-97/2004 के द्वारा पारिवारिक विवाद में उन्हें एवं उनकी पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया गया है। मामलें की जाँचोपरांत पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक-4083/गो0, दिनांक 03.12.2019 द्वारा अपीलकर्त्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-97/2004 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में शस्त्र वाद सं0-01/2010 की विधिवत सुनवाई कर दिनांक 13.03.2018 को जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा पारित आदेश में अपीलकर्त्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त, न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा के समक्ष शस्त्र अपील वाद सं0-94/2018 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 26.07.2019 को पारित आदेश में मामलें को रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई का आदेश दिया गया। उक्त के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी, सारण द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0-76/2019 की सुनवाई प्रारंभ की गयी। वाद की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 09.02.2021 को पारित आदेश में शस्त्र वाद सं0-01/2010 में दिनांक 13.03.2018 को पारित आदेश को यथावत रखा गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-13250/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 17.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि अपीलकर्त्ता एवं अपीलकर्त्ता की सौतेली माँ एवं उनके परिजनों के बीच संपत्ति बटवारे का विवाद है। इसी क्रम में उनके पिता द्वारा सौतेली माँ के प्रभाव में आकर पुलिस में आशंका के आधार पर बिना किसी प्रमाण के शिकायत दर्ज करायी गयी है। उनके द्वारा कहा गया कि उनके विरूद्ध ऐसे किसी मामलें में पूर्व में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि उक्त मामलें में पुलिस उपाधीक्षक की जाँच रिर्पोट संदेहास्पद हैं क्योंकि उनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, गाँव के किसी निवासी अथवा किसी पट्टीदार से कोई पूछताछ करने का उल्लेख नही किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र राजनीतिक प्रभाव में आकर जाँच रिर्पोट तैयार किया गया हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा C.W.J.C. No. 11442/2007 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.05.2018 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक मामलें के लंबित रहने के आधार पर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति के निलंबन को समुचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस क्रम में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को आधार बनाकर आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 17(3) के प्रावधानों को अनुज्ञप्ति रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि शस्त्र अपीलवाद सं0-94/2018 में दिनांक 26.07.2019 को अपीलकर्त्ता के पक्ष को सुनकर आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा वाद के सभी बिन्दुओं एवं तथ्यों पर समुचित विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

उक्त कथनों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता एवं उनके पिता तथा सौतेली माँ के संतानों के बीच पारिवारिक संपत्ति के बँटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद के क्रम में अपने जान पर खतरे की सूचना अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा दी गयी है। इस क्रम में मामलें की जाँच उपाधीक्षक, विशेष शाखा, सारण द्वारा करते हुए पत्रांक-1065, दिनांक 26.11.2009 द्वारा अपनी जाँच रिर्पोट पुलिस अधीक्षक, सारण को प्रस्तुत किया गया है, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक-4083/गो0, दिनांक 03.12.2009 द्वारा अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने अनुशंसा की गयी है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अंत में कहा गया कि पारिवारिक वाद-विवाद में किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किए जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

".....उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलनोपरान्त तथा पुलिस अधीक्षक, सारण की अनुशंसा के आलोक में विपक्षी राघवेन्द्र सिंह, पिता-श्री कमलापति सिंह, सा0-कोठेया, थाना-जलालपुर, जिला-सारण का शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-97/2004 (एक 315 बोर रायफल सं0-ए0बी0004-5414) को रद्द किए जाने का आदेश उचित प्रतीत होता है एवं पूर्व के आदेश में संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ।"

उक्त के आधार पर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश **आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 17(3)** में अंकित प्रावधानों के आलोक में न्यायोचित है, अतएव उसे यथावत रखा जाए।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

उक्त के सावधानी पूर्वक अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है:-

(1) अभिलेख के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध उनके पिता द्वारा जलालपुर थाना में शिकायत दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि पुलिस उपाधीक्षक, वि0शा0, छपरा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलकर्त्ता एवं उनके पिता के बीच संपति को लेकर विवाद होता रहता है। ऐसे में पारिवारिक वाद-विवाद में अपीलकर्त्ता द्वारा अपने शस्त्र का अनुचित प्रयोग किया जाना संभावित है। उक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामले के जाँचोपरान्त संबंधित पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। प्रस्तुत मामलें में शस्त्र के दुरूपयोग को रोकने का एकमात्र विकल्प यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत शस्त्र अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाए।

(2) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत दर्ज रहने का यह मतलब नहीं है कि उनके द्वारा वर्तमान में एवं भविष्य में भी संतुलित व्यवहार ही किया जायेगा। तथ्य यह है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध उनके पिता द्वारा जलालपुर थाना में शिकायत दर्ज करायी गयी है, जिसके आलोक में संबंधित पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मामले की जाँचोपरांत उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गयी है तथा पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा भी उक्त प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

(3) यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दर्ज शिकायत के जाँच के क्रम में पाये गए तथ्यों के आधार पर ही संबंधित पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है इसलिए प्रस्तुत मामला राजनीतिक विद्वेष का मामला प्रतीत नहीं होता है और न ही इस संबंध में की गयी जाँच ही संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में अपीलकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में अपीलकर्त्ता पर उनके पिता द्वारा ही जानमाल पर खतरे की

आशंका से संबंधित गंभीर आरोप लगाये गये है, जिसकी जांच के क्रम में संबंधित पुलिस उपाधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपीलकर्त्ता शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करने की योग्यता नहीं रखते है।

अतएव वर्तमान परिस्थितियों में मैं, प्रश्नगत शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किए जाने से अपीलकर्त्ता के जान-माल पर किसी खतरे की आशंका महसूस नहीं करता हूँ। जबकि यदि अपीलकर्त्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को यथावत् रखा जाता है तो अपीलकर्त्ता के पिता एवं उनके परिवार पर खतरे की आशंका बनी रहेगी। जिससे अपीलकर्त्ता के पिता एवं उनके परिवार के शांतिपूर्वक जीवन में बाधा उत्पन्न होगी।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।